

न्यायालय:- आर0पी0अहिरवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक 77 / C.J.M. / 2024

उमरिया, दिनांक 12.02.2024

::रिमांड ड्यूटी::

मैं आर0पी0अहिरवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया म0प्र0 दं0प्र0सं0 1973 की धारा 14 एवं 15 तथा म0प्र0 दाण्डिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला उमरिया के लिए **माह मार्च एवं अप्रैल 2024** में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अवकाश के दिनों में निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाता हूँ:-

क्र.	रिमाण्ड ड्यूटी की तारीख	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम
1.	24, 25, 26 मार्च व 7, 9, 11 अप्रैल 2024	श्री धर्मेन्द्र खंडायत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
2.	16, 17, 29 मार्च 14, 17, 28 अप्रैल 2024	सुश्री खालिदा तनवीर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
3.	3, 8, 10, 31 मार्च 20, 21 अप्रैल 2024	श्रीमती अमृता मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
4.	कोई अचानक अवकाश होने पर माह मार्च में	सुश्री खालिदा तनवीर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
5.	कोई अचानक अवकाश होने पर माह अप्रैल में	श्री धर्मेन्द्र खंडायत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
6.	3, 8, 10, 16, 31 मार्च 7, 9, 14, 17 अप्रैल	श्री राकेश कुमार मरावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिरसिंहपुर पाली
7.	मानपुर न्यायालय की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त सभी अवकाश दिवसों में	सुश्री चेतना रुसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मानपुर जिला उमरिया
8.	17, 24, 25, 26, 29 मार्च 11, 20, 21, 28 अप्रैल	श्रीमती पूजा गोले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिरसिंहपुर पाली
9.	3, 8, 10, 16, 17 मार्च व 7, 9, 20, 21 अप्रैल 2024	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा प्रशिक्षु/द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी में सहयोग हेतु
10.	24, 25, 26, 29, 31 मार्च 11, 14, 17, 28 अप्रैल 2024	श्री अपूर्व मेहरोत्रा प्रशिक्षु/द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी में सहयोग हेतु

टीप:- न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी दोपहर पश्चात 3:00 बजे से 5:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में अपने कर्मचारियों के साथ उपस्थित होकर सम्पादित करेंगे। किसी कारणवश उक्त कार्य सम्पन्न करने की असमर्थता की स्थिति में अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वह वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यालय अनुमति मिलने के पश्चात, इस न्यायालय को सूचित कर मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे। रिमाण्ड अवधि में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित न्यायिक अधिकारी सी.जे.एम. को लिखित सूचना देने एवं मुख्यालय अनुमति मिलने के उपरान्त ही रिमाण्ड ड्यूटी से विरत होंगे।

(आर0पी0 अहिरवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला उमरिया (म0प्र0)